रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938
No. 2004] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/ SRAVANA 20, 1938

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2681(अ).—जबकि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, नागालैंड राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामले से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री कोमू लोसो जॉन, अधिवक्ता की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को गृह मंत्रालय की दिनांक 8.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3052 (अ) के तहत अधिसूचित किया था।

और जबकि, श्री कोमू लोसो जॉन ने विशेष लोक अभियोजक बने रहने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

अत:, अब केन्द्र सरकार, विशेष लोक अभियोजक के रूप में श्री कोमू लोसो जॉन, अधिवक्ता की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-1 DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2681(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) had notified the appointment of Shri Komuo Loso John, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Nagaland vide Ministry of Home Affair's notification No. S.O. 3052(E) dated 8-10-2013;

And whereas, Shri Komuo Loso John has expressed his inability to continue as Special Public Prosecutor;

Now, therefore, the Central Government terminates the appointment of Shri Komuo Loso John, Advocate as Special Public Prosecutor with immediate effect.

[F. No. 11034/30/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2682(अ).—जबकि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, राजस्थान राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामले से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री जी. एस. चटर्जी, अधिवक्ता की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को गृह मंत्रालय की दिनांक 8.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 1966(अ) के तहत अधिसूचित किया था।

और जबकि, श्री जी. एस. चटर्जी, विशेष लोक अभियोजक का बीमारी के कारण दिनांक 25.08.2015 को निधन हो गया है;

अतः, अब केन्द्र सरकार, विशेष लोक अभियोजक के रूप में श्री जी. एस. चटर्जी, अधिवक्ता की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2682(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) had notified the appointment of Shri G. S. Chatterji, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Rajasthan vide Ministry of Home Affair's notification No. S.O. 1966(E), dated 8th October, 2013.

And whereas, Shri G.S. Chatterji, Special Public Prosecutor has expired on 25.08.2015 due to illness;

Now, therefore, the Central Government terminates the appointment of Shri G. S. Chatterji, Advocate as Special Public Prosecutor.

[F. No. 11034/30/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2683(अ).—जबकि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, बिहार राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामले से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और सुधांशु कुमार लाल, की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को गृह मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1545 (अ) के तहत अधिसूचित किया था।

और जबकि, विभिन्न विशेष लोक अभियोजकों को आबंटित/उनके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार ने श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और सुधांशु कुमार लाल की नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

अत:, अब केन्द्र सरकार, विशेष लोक अभियोजक के रूप में श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और सुधांशु कुमार लाल की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2683(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) had notified the appointment of Shri Akhileshwar Prasad Singh and Shri Sudhanshu Kumar Lal, as Special Public Prosecutors for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Bihar vide Ministry of Home Affair's notification No. S.O. 1545(E) dated 11th July, 2012;

And whereas, after reviewing the work allocated/attended by the different Special Public Prosecutors, the Central Government has decided to discontinue the appointment of Shri Akhileshwar Prasad Singh and Shri Sudhanshu Kumar Lal;

Now, therefore, the Central Government terminates the appointment of Shri Akhileshwar Prasad Singh and Shri Sudhanshu Kumar Lal, as Special Public Prosecutor with immediate effect.

[F. No. 11034/30/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.